दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

ज़मानत अर्ज़ी 2206/2021

निर्णय की तिथि: 31 अगस्त, 2021

के मामले में:

कुलदीप ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री जोगिन्दर तुली, अधिवक्ता

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) ...प्रत्यर्थी

द्वारा: राज्य की अति.लो.
अभि. सुश्री मीनाक्षी चौहान सह
उप.नि. अंजू थाना अमन विहार

कोरम :

माननीय न्यायाधीश श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद

न्या., सुभ्रमोणयम प्रसाद

1. याचिकाकर्ता भा.द.सं. की धारा 366ए, 372, 376, 120बी, 506 और 34 के तहत अपराधों के लिए थाना अमन विहार में दर्ज प्राथमिकी संख्या 510/2020 दिनांक 25.10.2020 में ज़मानत चाहता है।

2. वर्तमान मामले की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-

i. प्राथमिकी सं. 510/2020 दिनांक 25.10.2020 अभियोक्त्री के बयान पर दर्ज की गई थी। अभियोक्त्री की आयु लगभग 16/17 वर्ष है| अभियोक्त्री द्वारा यह बताया गया है कि वे पाँच भाई -बहन यानी चार बहनें और एक भाई है।

ii. ऐसा बताया गया कि प्राथमिकी दर्ज होने से लगभग 10 साल पहले अभियोक्त्री ने अपने पिता को खो दिया था और उसकी माँ उन्हें छोड़ कर चली गई थी। सभी भाई-बहन अपनी दादी के साथ रह रहे थे , जिनका निधन भी प्राथमिकी दर्ज होने से चार साल पहले हो गया था।

iii. ऐसा बताया गया कि उसकी बुआ (पिता की बहन) ने अभियोक्त्री को अपने साथ रखा और अभियोक्त्री का भाई अपनी बुआ के साथ रहने लगा। उसने बताया कि उसकी बड़ी बहन शादीशुदा है और उसके बड़े भाई ने किराए पर एक कमरा लिया हुआ है और वह अलग रह रहा है।

iv. ऐसा बताया गया कि अभियोक्त्री और उसकी बुआ (पिता की बहन) के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हुए और जब उसने अपनी आंटी और चाचा (पिता के भाई) को घटना सुनाई, तो उन्होंने अभियोक्त्री को अपने पास रखा। ऐसा बताया गया कि उनके साथ भी कुछ मतभेद उत्पन्न

हुए और बाद में अभियोक्त्री अपने पिता के भाई और उनकी पत्नी, यानी आरोपी/सुमन के यहाँ चली गई।

v. वह उनके साथ मकान नं ए -307/1 खसरा नंबर 675, रमेश एन्क्लेव, अमन विहार, दिल्ली में रहने लगी। ऐसा बताया गया कि आरोपी /सुमन ने उसे कहा कि उसे घर पर खाली बैठने की ज़रूरत नहीं है और वह उसे काम पर ले जाएगी।

vi. ऐसा बताया गया कि आरोपी /सुमन एक स्पा में काम करती थी और अभियोक्त्री अपनी आंटी (चाची) के साथ स्पा गई, जहाँ उसे आरोपी/पूनम से मिलवाया गया, जो स्पा चला रही थी।

vii. ऐसा बताया गया कि अगले दिन आरोपी /सुमन अभियोक्त्री को पार्लर ले गई जहाँ अभियोक्त्री ने देखा कि वहाँ केबिन थे और केबिन के अंदर बिस्तरे लगे थे।

viii. ऐसा बताया गया कि आरोपी /पूनम ने उसे बुलाया और उसे केबिन में जाने के लिए कहा जहाँ एक व्यक्ति इंतज़ार कर रहा था। ऐसा बताया गया कि जब अभियोक्त्री ने जाने से इनकार किया, तो आरोपी/पूनम ने उसकी चाची/सुमन को फोन किया और उसने उसे थप्पड़ मारा| ऐसा बताया गया कि आरोपी /सुमन ने उसे धमकी

दी और अभियोक्त्री से कहा कि वह कुछ भी न बताए नहीं तो वह उसे मार डालेगी।

ix. ऐसा बताया गया कि अभियोक्त्री ने अपने अंकल (चाचा) को वारदात बताने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रही क्योंकि उसकी चाची बीच में आ गई और उसने (चाची ने) उसे पीटा। पिटाई के बाद , अभियोक्त्री इस घटना का खुलासा करने से डर गई थी।

x. यह बताया गया कि पार्लर से वे अभियोक्त्री को विभिन्न होटलों में भेजते थे जहाँ उसका शारीरिक शोषण किया जाता था| ऐसा बताया गया कि 20.10.2020 को अभियोक्त्री को भागने का मौका मिला और वह अपनी बहन के पास गई जहाँ उसने अपनी बहन और भाई को पूरी वारदात सुनाई।

xi. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जाँच की गई| यहाँ याचिकाकर्ता आरोपी/पूनम का पति है जो स्पा चला रहा था।

xii. याचिकाकर्ता ने परिसर को किराए पर लिया हुआ है| वर्तमान प्राथमिकी में उसे 29.10.2020 को गिरफ्तार किया गया| 08.12.2020 को आरोप पत्र दायर किया गया था।

xiii. फ़ाज़िल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता ने नियमित ज़मानत अर्ज़ी दायर की जिसे दिनांक 07.05.2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उक्त ज़मानत अर्ज़ी के खारिज होने पर याचिकाकर्ता ने तत्काल ज़मानत अर्ज़ी दायर करके इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।

3. याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता और फ़ाज़िल अति.लो.अभि. सुश्री मीनाक्षी चौहान को सुना और अभिलेख पर रखे तथ्यों का अवलोकन किया।

4. आरोप पत्र का पठन यह दर्शाता है कि अभियोक्त्री जो लगभग 16/17 वर्ष की एक लड़की है, को उसकी अपनी चाची यानी आरोपी /सुमन द्वारा वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया, जो कि एक स्पा में काम कर रही थी , जिसे आरोपी/पूनम, याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा चलाया जा रहा था। अभियोक्त्री को स्पा में विभिन्न ग्राहकों और विभिन्न होटलों में व्यक्तियों के पास भी भेजा जाता था| स्पा को किराए/पट्टे पर याचिकाकर्ता के नाम पर लिया गया था।

5. याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता श्री जोगिंदर तुली का तर्क है कि याचिकाकर्ता इस बात से अनभिज्ञ था कि स्पा में क्या हो रहा था। उन्हों नें आगे बताया कि पट्टा विलेख पहले ही समाप्त हो चुका था और इसलिए याचिकाकर्ता को किराएदार नहीं कहा जा सकता है।

6. अभिलेख पर मौजूद तथ्य यह दर्शाता है अर्थात् परिसर से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता नियमित रूप से स्पा जा रहा था। यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी की गतिविधियों से अनजान था और याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि 16/17 वर्ष की लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था और उसका स्पा में शारीरिक शोषण किया जा रहा था।

7. श्री तुली का तर्क है कि चूंकि पट्टा विलेख समाप्त हो चुका था और वह अब परिसर के किराएदार नहीं थे को स्वीकृत नहीं किया जा सकता| याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा इस्तेमाल किए गए नंबरों के कॉल विवरण अभिलेखों से

पता चलता है कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी के साथ लगातार संपर्क में था।

8. सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में ज़मानत देने के मापदंडों को निर्धारित किया है, जो निम्नानुसार हैः-

> "(क) *ज़मानत देते समय न्यायालय को न केवल आरोपों के स्वरुप, बल्कि दंड की गंभीरता को भी ध्यान में रखना होगा, यदि आरोप दोषसिद्धि के बारे में हो और साक्ष्य का स्वरुप आरोप का समर्थन करता हो|*
>
> (ख) *साक्षीगण के साथ छेड़छाड़ किए जाने की युक्तियुक्त आशंकाएँ या शिकायतकर्ता के लिए कोई खतरा होने की आशंका भी ज़मानत मंजूर करने के मामले में न्यायालय के पास होनी चाहिए|*
>
> (ग) *जबकि यह उम्मीद नहीं की जाती कि अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए पूरे सबूत हैं लेकिन आरोप के समर्थन में न्यायालय की हमेशा प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए।*
>
> (घ) *अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और यह केवल*

वास्तविकता का तत्व है जिसे ज़मानत देने के मामले में विचार करना होगा, और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, घटनाओं के सामान्य स्तर में , अभियुक्त ज़मानत के आदेश का हकदार है।"

राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह **(2002) 3 एससीसी 598** के रूप में प्रतिवेदित, महिपाल बनाम राजेश कुमार **(2020) 2 एससीसी 118** के रूप में प्रतिवेदित और **फौजदारी अपील सं.** 883/2021 हरजीत सिंह बनाम इंद्रप्रीत सिंह उर्फ़ इंदर व अन्य में दिनांक 24.08.2021 के निर्णय को संदर्भ करें|

9. याचिकाकर्ता भा.द.सं. की धारा 376 सहपठित पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एक अत्यंत जघन्य अपराध का आरोपी है , यदि वह दोषी ठहराया जाता है , तो याचिकाकर्ता को कारावास की सजा सुनाई जाएगी जो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़

सकती है, जो उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन या मृत्यु के साथ शेष होगी।

10. अभियोक्त्री की आयु और इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता एक समृद्ध व्यक्ति है, याचिकाकर्ता के साक्षीगण को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है| याचिकाकर्ता के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और सज़ा की गंभीरता को भी देखते हुए याचिकाकर्ता के फरार होने या ज़मानत से भागने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

11. जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी की गतिविधियों से अनजान था, बल्कि अभिलेख पर मौजूद तथ्य यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी के साथ लगातार संपर्क में था और स्पा नियमित रूप से आता था और इसलिए , इस स्तर पर यह यथोचित रूप से माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता को स्पा में अपनी पत्नी की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी थी|

12. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कार्यवाहियाँ प्रारंभिक अवस्था में हैं और अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को इस स्तर पर ज़मानत देने के लिए इच्छुक नहीं हैं|

13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ आवेदन को खारिज किया जाता है|

न्या., सुब्रमोणयम प्रसाद

31 अगस्त, 2021
एचएसके

(TranslationTranslation has been done through AI Tools:SUVAS)

अस्वीकरण: *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|*